प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद देश को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ आरंभ हुई। इन पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास एवं घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ, यह भी निश्चित किया गया कि देश के ग्रामीण इलाकों में बसी हुई आबादी को गरीबी से मुक्त कराने के लिए गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों की रचना करना अत्यंत आवश्यक है। समयानुसार इसके लिए कई योजनाओं का निर्माण किया गया। इन योजनाओं में विशेषतः हजारों सालों से दरिद्रता और गरीबी के कुचक्र में फसी हुई अनुसूचित जाति और जनजातियों को भी जगह दी गई। केवल उन्हीं को केंद्र में रखने वाली विशेष योजनाएँ भी सामने आयी। भारत सरकार तथा राज्यों की सरकारों ने अपनी नीतियों में समय-समय पर उनके विकास एवं उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजना के साथ कुछ उप-योजनाओं का भी निर्माण किया। विशेषतः अनुसूचित जातियों के लिए जो योजनाएँ बनायी गई उनका उद्देश्य इन जातियों को कुछ साधन प्रदान कर उनकी आमदनी में वृद्धि करना रहा है। इसलिए इन योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ भी कहा जाता है। इन योजनाओं में कृषि का न्याय वितरण करना, ग्रामीण तथा शहरों में रहने वाले युवाओं को तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना तथा स्वयं रोजगार को प्रोत्साहित कर पूंजी के माध्यम से संपत्ति का निर्माण करने के लिए कर्ज देने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। अर्थात, इन योजनाओं का ध्येय ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों के लिए उपजीविका के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन की गारंटी, निवास एवं स्वास्थ सेवाओं जैसी सुविधाएँ, स्वतंत्र रोजगार का सृजन करने के लिए जमीन की उपलब्धता के साथ आर्थिक सहायता प्रदान कराना है, जिसके आधार पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाली अनुसूचित जातियों के साथ हो रहे भेद-भाव को रोका जा सके और उनकी गरीबी को दूर करते हुए उन्हें अन्य जातियों के समकक्ष लाया जा सके।

उपरोक्त कथन से यह तो स्पष्ट होता है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपनायी गई इन योजनाओं का ध्येय अथवा उद्देश्य अनुसूचित जातियों में व्याप्त गरीबी को नष्ट करने का है। लेकिन अत्यन्त कम जमीन और उत्पादन साधनों का अभाव अनुसूचित जातियों का भाग्य होने से अनुसूचित जातियों के बहुत कम परिवार ही स्वयं की जमीन को जोतकर अपनी आजीविका चला पाते हैं। आजीविका को न्यूनतम स्तर पर ही पूरा करना उनकी नियति बन गई है। दूसरी ओर, स्थानिक सामाजिक भेदभाव, प्रशासनिक भ्रष्टाचार आदि ऐसे कारण हैं जो उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए दीक्कतों का पहाड़ खडा करते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई गई

किसी भी योजनाओं में हिस्सा लेकर अपने परिवार की आमदनी को सुनिश्चित करना उनके लिए दूर की कौड़ी साबित होता है। इस संदर्भ में कई विद्वानों के शोध यह संकेत देते हैं कि सरकार की जमीन सुधार की योजना हो या कर्ज उपलब्ध कराने वाली कोई योजना हो, इन सभी योजनाओं से न तो छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हुआ है और न ही उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, अनुसूचित जातियों के जिन लोगों के पास स्वयं का व्यवसाय है उनका प्रमाण अत्यंत कम है और खेतिहर मजदूर के तौर पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। यह दोनों स्थितियाँ एक दूसरें के विपरीत होने से, उन्हें स्थानिक स्तर पर मिलने वाली कम मजदूरी पर गुजारा करना पड़ता है या अधिक मजदूरी को प्राप्त करने के लिए प्रवासन करना पड़ता है। वहीं, स्थानिक मजदूरी से संबंधित प्रतिस्पर्धा, जमीन की अनुपलब्धता, व्यापक श्रमिक संख्या, कम मजदूरी और रोजगार सृजन से संबंधित स्थानिक भेदभाव जैसे अनेक कारण उन्हें बेरोजगार रहने के लिए मजबूर कर देते हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ध्येय पूरा नहीं हो पाता। दूसरी ओर उत्तर-भूमंडलीकरण के बाद की बदलती हुई आर्थिक नीतियाँ और सिकुड़ती हुई कल्याणकारी राज्य की भूमिका उनकी आर्थिक स्थितियों को कितना ऊपर उठा पाई है यह एक शोध का विषय हो सकता है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए तथा सभी जाति-वर्ग के लोगों को न्यूनतम वेतन प्रदान कराने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005 (MGNREGA-2005) एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में सामने आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल मजदूरों को 100 दिवस का रोजगार प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा और 'काम का अधिकार' प्रदान करती है। जाहिर सी बात है, ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल, जमीन रहित और उत्पादन साधनों से कोसो दूर रहने वाला यदि कोई समूह है तो वह अनुसूचित जातियों का समूह है। अतः इस समुदाय पर किसी सरकारी योजना या नीति-कार्यक्रम का कितना असर हुआ है इस आधार पर ही हम किसी योजना की सफलता या असफलता को नाप सकते हैं। इसलिए प्रस्तुत अनुसंधान के लिए भी महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम एवं बुलड़ाणा में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों को चुना गया है और यह जानने का प्रयास किया गया है कि उक्त क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के व्यक्ति और उनके परिवार पर मनरेगा जैसी योजना का क्या सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव-परिणाम हुआ है।

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक उत्पादन के संबंध में प्रगतिशील राज्य के रूप में पहचाना जाता है और राज्य का पश्चिम क्षेत्र कृषि तथा औद्योगिकरण के मामले में देश के साथ-साथ राज्य के अन्य प्रदेशों के मुकाबले हमेशा आगे रहा है। लेकिन महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र कृषि और औद्योगिक उत्पादन के मामले में अभी भी पिछड़ा हुआ है।

खासकर पश्चिम विदर्भ का क्षेत्र जिसमें अमरावती विभाग में शामिल वाशिम और बुलड़ाणा जिले हैं, वहाँ अभी कोई औद्योगिक बेल्ट, उत्पादन से संबंधित बुनियादी संरचना का निर्माण नहीं हुआ है। यह जिले आज भी औद्योगीकरण के इंतजार में हैं। इस स्थिति में इन दोनों जिलों की जनता केवल कृषि आधारित उत्पादन में संलग्न हैं। वाशिम और बुलड़ाणा जिले की लगभग 80 प्रतिशत जनता गाँव में रहती है। यहाँ 90 प्रतिशत लोग खेती-बाड़ी से जुड़े हुए हैं। खेती-बाड़ी और उससे संलग्न मजदूरी ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है और दोनों जिलों की केवल एक प्रतिशत जनता औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत है। विशेष बात यह है कि इन दोनों जिलों में अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 25.00 प्रतिशत है और चयनित अनुसंधान क्षेत्र में वह घणी आबादी के साथ निवास करती है। इससे स्पष्ट होता है कि औद्योगिकरण के अभाव में दोनों जिलों की अनुसूचित जातियाँ सिर्फ और सिर्फ कृषि और कृषि से संबंधित अन्य रोजगार पर निर्भर होने से उनमें गरीबी का प्रमाण ज्यादा दिखाई देता है जो उन्हें गरीबी के कुचक्र में धकेल देता है। ऐसे में रोजगार की गारंटी और काम के अधिकार से सुसज्जित मनरेगा योजना उनके लिए कहाँ तक राहत प्रदान करती है यह देखना आवश्यक हो जाता है जो इस शोध का मुख्य उद्देश्य है।

मनरेगा से संबंधित जितने भी शोध हुए हैं उनसे यह ध्वनित होता है कि देश के जिन इलाकों में औद्योगीकरण नहीं हुआ है वहाँ यह योजना आवश्यक है और यही बात प्रस्तुत अनुसंधान क्षेत्र के लिए भी लागू होती है। लेकिन स्थिति यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं के साथ-साथ मनरेगा जैसी योजना प्रस्तुत अनुसंधान क्षेत्र में क्रियान्वित होने के बाद भी इन दोनों जिलों की अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है? यह अभी तक ठीक से सामने नहीं आया है। खास बात यह है कि इस क्षेत्र में अत्यंत कम अनुसंधान हुए हैं। मनरेगा के कारण इन दोनों जिलों में बसने वाली अनुसूचित जातियों के लोगों को कितना रोजगार प्राप्त हुआ है? कितने लोगों ने जॉब कार्ड बनवाया है? कितनों को रोजगार भत्ता मिला है और इस क्षेत्र के मजदूरों को मनरेगा में काम करते हुए किन दीक्कतों का सामना करना पड़ता है आदि कारणों को विशेष तौर पर समझना आवश्यक है और उसके लिए एक अलग शोध-सर्वेक्षण की आवश्यकता बढ़ जाती है। प्रस्तुत अनुसंधान का लक्ष्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट 2005 (MGNREGA2005) का अनुसूचित जाति पर किस प्रकार का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव-परिणाम हुआ है और उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है यह जाँचना है। इसके लिए मनरेगा जैसी योजना के कारण उन पर हुए प्रभावों का पूर्व एवं पश्चात स्थितियों में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए प्रस्तुत अनुसंधान के उत्तरदाताओं की आयु , लिंग, जाति, धर्म, आवासी सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवसन आदि कारकों को मनरेगा के पूर्व तथा पश्चात प्रभावों के संबंध में

रेखांकित करना है। मनरेगा के कारण उन पर जो सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव हुए हैं उनकी ओर इशारा करते हुए प्राप्त तथ्यों के आधार पर मनरेगा अर्थात 'काम के अधिकार' की वास्तविक स्थिति को उजागर करना इस शोध का ध्येय है। यह अनुसंधान महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित वाशिम और बुलड़ाणा जिले के छः चयनित तहसील और इन तहसीलों से चयनित तीस गाँवों में किया गया है। इसमें जिन उत्तरदाताओं का पंजीकरण वर्ष 2012 से वर्ष 2019 तक का है ऐसे तीन सौ उत्तरदाता इसमें शामिल हैं। इसके लिए जो अनुसंधान प्रविधि अपनाई गई है, वह आनुभविक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें अनुसूचित जातियों के लोगों पर हुए सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अनुभवजन्य अध्ययन कर पूर्व तथा पश्चात स्थितियों को जाँचा गया है। प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के लिए संरचित साक्षात्कार अनुसूची उपयोग में लाई गई है और तथ्यों का प्रसंस्करण करने के लिए कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम एस.पी.एस.एस. का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्त्रोंतों के लिए पुस्तकालय पद्धति का उपयोग करते हुए विभिन्न पुस्तक, शोध-आलेख, सरकारी रिपोर्ट, समाचार-पत्रों में प्रकाशित सूचनाएं शामिल हैं।

अंत: यह स्पष्ट है कि कोई भी शोध अंतिम नहीं होता और ऐसा कोई दावा यहाँ नहीं किया गया है। लेकिन इस शोध की विशेषता यह रहेगी कि पहली बार उपरोक्त दोनों जिलों के चयनित तहसीलों और गाँवों में मनरेगा की वास्तविक स्थितियाँ क्या हैं? उसका प्रत्यक्ष तथा व्यवहारिक परिणाम क्या हो रहा है? यह सामने आ सकता है और यह बात भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरी बात यह है कि मनरेगा से संबंधित जिन उपायों को यहाँ सुझाने का प्रयास किया गया है वह विभिन्न शोधकर्ताओं के निष्कर्षों को अपने में समाविष्ट तो करता ही है, लेकिन उसके साथ-साथ प्रत्यक्ष अनुसंधान के परिणाम और अनुसंधान में शामिल उत्तरदाताओं के जीवंत अनुभवों को अधिक उजागर करने का प्रयास यहाँ प्रस्तुत होता है।